

पंजीयन प्रमाण-पत्र

1432

* * * *

यह प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन १९६१) की धारा ७ के अन्तर्गत दा. मोपाल पुलिस कर्मचारी को-ऑपरेटिव हाइसिंग - सोसाइटी लिमिटेड, मोपाल के पंजीयन के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र तथा प्रस्तावित उप-नियमों को स्वीकृत कर लिया गया है तथा अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत, सोसाइटी के संजीकृत उप-नियमों में विहित उपबन्धों के आधीन, उक्त सोसाइटी का पंजीयन किया गया है।

दिनांक 21 जुलाई-1998

पंजीयन क्रमांक /DRB/ 795



अखिलेश्वर जयशंकर
 उप रजिस्ट्रार
 सहकारी सोसाइटी
 मोपाल
 मध्य प्रदेश